

सुपर बाजार, नई दिल्ली.

786. रामगोपाल शालवाले : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार, नई दिल्ली में बेची गई वस्तुओं की बटिया किसम तथा ऊंची कीमतों के बारे में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रमोदासिंह सिंह):(क) भारत सरकार को सुपर बाजार द्वारा बाजार भावों की अपेक्षा अधिक भाव लेने के बारे में केवल चार शिकायतें मिली थीं। इन में से दो शिकायतें दवाइयों और दो प्रैक्टर कुकर के बारे में थीं। सभी शिकायतों की जांच-पड़ताल की गई और यह देखा गया है कि केवल एक मामले में सुपर बाजार के सेल्मैन ने शिकायत-कर्ता से गलती से कुछ प्रेषणीय कैंपसूलों के दाम अधिक लिये थे। सुपर बाजार अधिक ली गई राशि को लौटाना मान गया। अन्य मामलों में ज्यादा दाम लेने के आरोप सिद्ध नहीं हुए क्योंकि जो मूल्य लिया गया था वह निर्धारित द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुक्रम या और कम भी था।

(ख) सुपर बाजार द्वारा बटिया किसम की वस्तुओं को बेचने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

787. श्री रामगोपाल शालवाले : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि सुपर बाजार,

नई दिल्ली ने अपना व्यापार चलाने के लिये 80 लाख रुपये का ऋण लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस ऋण पर कितना ब्याज लिया जायेगा ;

(ग) जिन वस्तुओं पर यह धन-राशि लगायी जायेगी उन से कितने प्रतिशत लाभ होगा ; और-

(घ) सुपर बाजार, नई दिल्ली को प्राप्ति-निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रमोदासिंह सिंह):(क) सुपर बाजार ने सिटीकेट बैंक लि० से 80 लाख रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव किया है। उक्त राशि में से अब तक वस्तुव में 53 लाख रुपये का ऋण लिया गया है।

(ख) सिटीकेट बैंक लि० से लिये गये ऋण पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तथापि, इस निधि के कई बार व्यापार में लगाते रहने पर निर्भर करते हुए लागत ढाँचे पर ब्याज का भार बहुत कम पड़ेगा।

(ग) सुपर बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर सकल प्रीसत गुंजाइश लगभग 9 प्रतिशत है।

(घ) सुपर बाजार की तीसरी शाखा चलाने से इस संगठन का पहला वीजान पूरा हो जाएगा। धाबा है कि इसके बाद बाजार को कुछ लाभ होने लगेगा।

Subsidy price of rice and wheat in Kerala

788. Shri E. K. Nayanar:  
Shri Umanath:  
Shri P. Gopalan:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the Central Government

increased the subsidy price of rice and wheat in Kerala in 1966; and

(b) if so, how many times it was raised and the quantum raised in each case?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The issue prices of rice and imported wheat supplied from Central stocks to all State Governments including Kerala were raised in 1966. Even so, the prices of coarse rice and wheat contains an element of subsidy.

(b) The increase in the issue price of imported wheat was made only once *w.e.f.* November, 1966. For rice twice, in June and December during the year 1966. The extent of increase in case of imported wheat for all States was from Rs. 50.00 to Rs. 55.00 per quintal. In case of coarse rice, the increase in the issue price for Kerala was from Rs. 66.00 to Rs. 69.00 *w.e.f.* June, 1966 and from Rs. 69.00 to Rs. 80.00 per quintal *w.e.f.* December, 1966.

#### Declaration of Famine in Bihar

798. Shri Mohan Swarup:  
Shri Ram Sewak Yadav:  
Shri Madhm Limaye:  
Shri Molahu Prasad:  
Shri George Fernandes:  
Shri Kabi Ray:  
Shri Bhogendra Jha:  
Shri A. B. Vajpayee:  
Shri Bal Raj Madhok:  
Shri Chandra Sekhar Singh:  
Dr. Ranen Sen:  
Shrimati Tarkeshwari Sinha:  
Shri Maharaj Singh Bharti:  
Shri S. M. Banerjee:  
Shri Bibhuti Mishra:  
Shri K. N. Tiwary:  
Shri K. M. Madhukar:  
Shri D. C. Sharma:  
Shri E. S. Vidyarthi:  
Shri Sidheshwar Prasad:  
Shri B. S. Sharma:  
Shri Onkar Lal Berwa:  
Shri Prakash Vir Shastri:  
Shri Ram Singh Ayarwal:

Shri Hukam Chand Kachwal:  
Shri Shri Gopal Saboo:  
Shri Swell:  
Shri S. C. Samanta:  
Shri A. K. Khaku:  
Shri S. N. Matti:  
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:  
Shri Yashpal Singh:  
Shri P. Parthasarathy:  
Shri E. D. Reddy:  
Shri Shiv Chander Jha:  
Shri Shri Chand Goel:  
Shri D. N. Patodia:  
Shri Mohamed Imam:  
Shri S. K. Tapuriah:  
Shri Gadlingana Gowd:  
Shri Vishwa Nath Pandey:  
Shri Y. A. Prasad:  
Shri P. K. Deo:  
Shri K. P. Singh Deo:  
Shri B. Barua:  
Shri N. K. Sanghi:  
Shri Virendrakumar Shah:  
Shri A. Anrudhan:  
Shri K. M. Abraham:  
Shri Vishwanatha Menon:  
Shrimati Suseela Gopalan:  
Shri Umanath:  
Shri F. P. Esthose:  
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bihar Government has declared one third of the State under famine;

(b) if so, the particulars of areas where famine has been declared;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) the steps taken to face the situation arising out of this declaration?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). A statement indicating the areas declared as famine areas by the Government of Bihar is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-436/67].

(c) and (d). The Government of India has been making all possible